कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़

पत्रांकः 6741–46 /2021–22 दिनांकः 17.08.21

प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय
जनपद अलीगढ़

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/251 दिनांकः 17 अगस्त, 2021 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्याः 1644/15–7–2021–1(52)/2021 दिनांकः 17 अगस्त, 2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज की वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के सामान्य रूप से अंक रहित प्रोन्नत हुये छात्रों के अग्रिम कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में है।

उक्त शासनादेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि आप उक्त शासनादेश का पर्याप्त प्रचार प्रसार कर सम्बन्धित छात्रों/अभिभावकों को अवगत कराये एवं शासनादेश में दिये गये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

उक्त शासनादेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की वेबसाइट dios.aligarh.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक– उक्तवत्

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या व तिथि यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़
2. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप उक्त सूचना को जनपद के लोकप्रिय समाचार पत्रों में छात्रहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

17/08/21

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1– समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश

पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल / 251 दिनांकः17 अगस्त 2021

विषयः **<u>माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज की वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा कक्षा–10 एवं 12 के सामान्य रूप से अंकरहित प्रोन्नत हुये छात्रों के अग्रिम कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः1644/15–7–2021–1(52)/2021 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 दिनांक 17 अगस्त 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

उक्त शासनादेश दिनांक 17 अगस्त 2021 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश में प्रदत्त निर्देशों का अपने अधीनस्थ मंडल/जनपदो में अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

संलग्नः उक्तवत्।

भवदीय

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव

पृष्ठांकन संख्याः मा0शि0प0/ सिस्टम सेल/ 251 (1-4) तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3– शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित है कि अपने परिक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले जनपदों में उक्त शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव

प्रेषक, संख्या–1644 / 15–7–2021–1(52) / 2021

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उ0प्र0, लखनऊ।

3– सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उ0प्र0, प्रयागराज।

4– समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषयः– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के सामान्य रूप से अंक रहित प्रोन्नत हुये छात्रों के अग्रिम कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–195 / एक–11–2020, दिनांक 24.03.2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

2– कोरोना वायरस (कोविड–19) के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण सत्र को नियमित करने एवं छात्र हित में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु कक्षा–10 एवं 12 की लिखित बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

3– शासनादेश संख्या–1128 / 15–7–2021–1(20) / 2020, दिनांक 20.06.2021 द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की निरस्त की गई लिखित परीक्षा के अंकों को आगणित करने की प्रकिया तथा परीक्षाफल को तैयार करने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश में यह भी उल्लिखित था किः–

"इण्टरमीडिएट के जिस किसी भी परीक्षार्थी (व्यक्तिगत / संस्थागत) के कक्षा–11 की दोनो परीक्षाओं (वार्षिक परीक्षा व अर्द्धवार्षिक) एवं / अथवा कक्षा–12 की प्री–बोर्ड परीक्षा तथा हाईस्कूल के जिस किसी भी परीक्षार्थी (व्यक्तिगत / संस्थागत) के कक्षा–9 की वार्षिक परीक्षा एवं / अथवा कक्षा–10 की प्री–बोर्ड परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें बिना अंको के सामान्य रूप से प्रोन्नत कर दिया जायेगा।"

4– हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की निरस्त की गई लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 31.07.2021 को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा घोषित कर दिया गया, जिन परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों की परीक्षाओं के अंक उपलब्ध नहीं थे, उन्हें उपरोक्त

Scanned by TapScanner

शासनादेश दिनांक 20.06.2021 में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में उन्हें बिना अंको के सामान्य रूप से माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया है।

5– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के कारण उत्पन्न आसाधारण परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्र हित, जन हित एवं सत्र को नियमित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष–2021 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा अंक रहित प्रोन्नत/उत्तीर्ण किये गये छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश के सम्बन्ध मे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे अंक रहित प्रोन्नत/उत्तीर्ण छात्रों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

17.08.2021

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/15–7–2021–1(52)/2021 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार।
3. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

Scanned by TapScanner